रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3 Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2367] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2014/कार्तिक 29, 1936
No. 2367] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2014/KARTIKA 29, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2014

सं. 99 (आर.ई–2013)/2009–2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए अपरिष्कृत संगमरमर और ट्रावर्टाइन ब्लॉकों के आयात लाइसेंस जारी करने हेतु नीति।

का.आ. 2947(अ.)—विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची–I (आयात) में निम्नलिखित संशोधन करती हैः

2. अध्याय 25 के अंत में जोड़ी गई आयात लाइसेंसिंग टिप्पणी सं. (2) को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगाः "अपरिष्कृत संगमरमर ब्लॉकों का आयात अधिसूचना सं. 99 दिनांक 20 नवम्बर, 2014 में दी गई शर्तों के अधीन होगा।"

3. संगमरमर के आयात की शर्तें:

(क) वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अपरिष्कृत संगमरमर ब्लॉकों और ट्रावर्टाइन के आयात के लिए निम्नलिखित नीतिगत प्रावधान लागू होंगे। यह अपरिष्कृत संगमरमर ब्लॉकों के आयात लाइसेंस के लिए जारी पूर्व की नीति/दिशानिर्देशों का स्थान लेगी।

(ख) निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची–I (आयात) में दर्शाई गई आईटीसी एचएस कोड संख्या 25151100 और 25151210 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उसमें निहित प्रावधानों के अनुसार, चिराई से या अन्य तरीके से कच्चे या अपरिष्कृत रूप से तोड़े हुए और केवल काटे हुए, आयताकार (वर्ग सहित) खण्डों में संगमरमर और ट्रावर्टाइन का आयात प्रतिबंधित है और यह आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के अधीन होगा।

(ग) उपरोक्त आईटीसी एचएस कोड्स के तहत अपरिष्कृत संगमरमर ब्लाकों और ट्रावर्टाइन के आयात हेतु आयात लाइसेंस के लिए आवेदनों पर निम्नलिखित तरीके से विचार किया जाएगाः–

I. **यूनिटों की पात्रता निम्नलिखित चार मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगीः**

(क) यूनिटें जिन्होंने 31.3.2014 को या इससे पहले संगमरमर गैंग सॉ मशीन (100% निर्यात अभिमुख यूनिटों और विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिटों को छोड़कर) लगा रखी है। संगमरमर गैंग सॉ मशीन केवल आवेदक के नाम पर होनी चाहिए। आयात हकदारी के आबंटन के प्रयोजन हेतु "पट्टा आधार" पर किसी गैंग सॉ मशीन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) यूनिटें 31.3.2014 को या इससे पहले पांच वर्षों तक संचालन में रही होनी चाहिएं।

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार सभी पात्र यूनिटों का पिछले तीन वर्षों की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान कम से कम 5 करोड़ रु. (पाँच करोड़ रुपये) का संचयी कारोबार होना चाहिए चाहे यह संसाधित संगमरमर स्लैबों/टाइल्सों के संबंध में घरेलू स्रोतों से हुआ हो अथवा विदेशी स्रोतों से।

(घ) यूनिट आवेदन करने की तारीख को केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारियों के पास पंजीकृत होनी चाहिए।

II. न्यूनतम मूल्यः

चिराई द्वारा अथवा अन्य प्रकार से कच्चे या अपरिष्कृत रूप से आयताकार (वर्गाकार सहित) रूप में काटे गए संगमरमर ब्लाकों और ट्रावर्टाइन के आयात के लिए लाइसेंस अमेरिकी डॉलर 325 प्रति मीट्रिक टन (एमटी) के न्यूनतम मूल्य के अनुसार होंगे, जिन्हें सभी लाइसेंसों पर पृष्ठांकित किया जाएगा।

III. हकदारी:

आईटीसी एचएस कोड संख्या 25151100 और 25151210 के तहत अपरिष्कृत संगमरमर और ट्रावर्टाइन ब्लाकों का कुल आयात संपूर्ण लाइसेंसिंग वर्ष, 2014–15 के लिए अधिकतम 8 लाख मी. टन की उच्चतम सीमा के अधीन होगा। पात्र यूनिटें पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2011–12 से 2013–14 तक के दौरान केवल संसाधित संगमरमर स्लैबों/टाइल्सों के न्यूनतम 5 करोड़ रुपए के संचयी कारोबार (देशी अथवा विदेशी) के आधार पर आयात लाइसेंस के लिए हकदार होंगी। तथापि, इस प्रकार निकाली गई मात्रा प्रत्येक गैंग सॉ के लिए 3500 मी. टन की उच्चतम सीमा के अधीन होगी।

IV. वास्तविक प्रयोक्ता शर्तः

सभी लाइसेंस वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होंगे। आवेदन की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने की प्रक्रियाएं इस अधिसूचना के अनुलग्नक I के रूप में संलग्न हैं।

V. मासिक विवरणीः

लाइसेंसधारक अपने द्वारा किए गए आयातों के संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को लाइसेंस प्राप्त करने के प्रत्येक अगले माह की 15 तारीख तक मासिक विवरणी भेजेगा (उदाहरण के लिए यदि लाइसेंस 13 फरवरी को प्राप्त किया जाता है तो लाइसेंस धारक फरवरी में किए गए आयातों के लिए 15 मार्च तक पहली और उसके बाद प्रत्येक माह 15 तारीख तक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा)। यह अनिवार्य आवश्यकता है।

VI. आयात लाइसेंसों की वैधता

संगमरमर और ट्रावर्टाइन के आयात के लिए लाइसेंसों की वैधता 31 दिसम्बर, 2015 तक होगी।

4. इस अधिसूचना का प्रभावः

वर्ष 2014–15 के लिए अपरिष्कृत संगमरमर और ट्रावर्टाइन ब्लॉकों की आयात नीति 8 लाख मी. टन के आयात कोटे एवं 325 अमरीकी डालर प्रति मी. टन की एम.आई.पी. के साथ अधिसूचित की गई है।

[फा. सं. 01/53/162/विविध/एएम15/मार्बल–01/आईसी]

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक–1

अपरिष्कृत संगमरमर ब्लाकों के आयात हेतु कोटा प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. पात्र आवेदकों से वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अपरिष्कृत संगमरमर ब्लाकों के आयात के लिए संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित संगत आयात निर्यात प्रपत्र में, अपने आवेदन की हार्ड कापी प्रस्तुत करनी होगी। क्षेत्रीय प्राधिकारी जाँच और कोटे के आबंटन के लिए आवेदनों को विदेश व्यापार महानिदेशालय मुख्यालय भेजेगा। क्रमवार सूची इस अधिसूचना के अनुलग्नक–2 पर संलग्न है।

2. निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना होगा तथा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को कोटा प्राप्त करने के आवेदन के साथ दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगाः

(क) इकाई में स्थापित संगमरमर गैंग शॉ 31.3.2014 को अथवा उससे पूर्व इकाई के नाम पर होनी चाहिए। गैंग शॉ किसी अन्य पार्टी से लीज पर नहीं होना चाहिए। संगमरमर गैंग शॉ मशीन रेखीय संचलन वाली होनी चाहिए और उसमें डायमंड सेगमेंट जड़े हुए न्यूनतम 60 स्टील ब्लेड होने चाहिए तथा उन्हें सिर्फ संगमरमर ब्लाक को स्लैब में काटने में प्रयोग किया जाए।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) आवेदक को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण से प्राप्त एक प्रमाणपत्र देना चाहिए जिसमें इकाई में संस्थापित और कार्यात्मक/प्रचालित गैंग शॉ की संख्या दर्शायी गई हो।

(घ) एसएसआई/एसआईए पंजीकरण प्रमाणपत्र/एमएसएमई मंत्रालय के ज्ञापन में यह दर्शाना चाहिए कि इकाई 31.3.2009 को अथवा उसके पहले से संचालन में है। राज्य के उद्योग विभाग (जिला उद्योग केन्द्र) को 31.3.2014 को या इससे पूर्व स्थापित किए गए गैंग शॉ की संख्या को प्रमाणित करना चाहिए तथा इस प्रमाणपत्र को क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(ड.) आवेदक द्वारा संगमरमर स्लैब/टाइलों के संसाधन हेतु इकाई में स्थापित उपस्करों/पूंजीगत मालों (संगमरमर गैंग शॉ को छोड़कर) की सूची 31.3.2009 को तुलन पत्र के अनुसार 31.3.2009 से पूर्व की होनी चाहिए जो कि सनदी लेखाकार द्वारा यथाप्रमाणित हो।

(च) सनदी लेखाकार द्वारा यथाप्रमाणित वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु आयकर रिटर्न जिसमें इकाई द्वारा संगमरमर का संसाधन दर्शाया गया हो।

(छ) वर्ष 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 में संगमरमर स्लैब/टाइलों के घरेलू/विदेशी बिक्री कारोबार दर्शाते हुए सनदी लेखाकार प्रमाणपत्र।

(ज) पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम 5 करोड़ के संगमरमर के स्लैबों/टाइल्सों के प्रत्येक वर्ष अर्थात 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 के लिए आयकर प्राधिकारियों के लिए तुलनपत्र के साथ दाखिल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अधिप्रमाणित लेखा विवरण की एक प्रति (घरेलू अथवा विदेशी स्रोतों से संचयी कारोबार प्रमाणित करने के लिए) ।

(झ) प्रपत्र ज और अन्य संबद्ध प्रपत्रों के प्रति बिक्री, तीसरे पक्षों के संगमरमर ब्लॉकों को स्लैबों/टाइल्सों में काटने वाली किसी इकाई द्वारा अर्जित की गई जॉब वर्क आय और संगमरमर स्लैबों/टाइल्सों की ऐसी स्वदेशी बिक्री कारोबार पर चुकाए गए उत्पाद शुल्क, सेवाकर और बिक्री कर/वैट की राशि को भी आवेदक के स्वदेशी बिक्री कारोबार की गणना करने के लिए शामिल किया जा सकता है। आवेदक को प्रत्येक तीन वित्तीय वर्ष के लिए आवेदक द्वारा वैट/बिक्री कर की विवरणी की सत्यापित प्रतियाँ उस अवधि हेतु आयकर विवरणी के साथ संगमरमर स्लैबों/टाईलों के स्वदेशी बिक्री कारोबार को दर्शाते हुए प्रस्तुत करनी होंगी। किसी व्यापार कारोबार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ञ) स्वदेशी बिक्री कारोबार की गणना के संबंध में आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि कारोबार में सकल बिक्री से बिक्री वापसियाँ घटाने के बाद निवल बिक्री को शामिल किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल आवेदक का कारोबार आकलन में लिया जाएगा और समूह कम्पनियाँ/सहयोगी कम्पनियाँ/अनुषंगी आदि के कारोबार को कुल कारोबार की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ट) आवेदक को विदेश व्यापार महानिदेशालय की निषिद्ध एंटिटी सूची (डीईएल) में शामिल नहीं होना चाहिए।

(ठ) यदि किसी आवेदक/फर्म को गलत/झूठी जानकारी देते हुए अथवा कोई गलत प्रतिवेदन देते हुए पाया जाता है तो उसे संगमरमर के आयात हेतु आबंटन से वंचित कर दिया जाएगा तथा उसके विरूद्ध यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत दांडिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

3. क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास पूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन की हार्ड कापी जमा करने की अन्तिम तिथि 24 दिसम्बर, 2014 होगी।

[अधिसूचना सं. 99 (आरई–2013)/2009–14 दिनांक 20 नवम्बर, 2014 का अनुलग्नक–2]

<u>क्रमवार सूची</u>

1.	अधिसूचना जारी की जानी है	20 नवम्बर, 2014
2.	क्षेत्रीय प्राधिकरण में आवेदन पत्र की प्राप्ति	24 दिसम्बर, 2014 तक
3.	क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय मुख्यालय को आवेदन का अग्रेषण	31 दिसम्बर, 2014 तक
4.	आबंटन की घोषणा	8 जनवरी, 2015
5.	लाइसेंसों को जारी करना	9 से 15 जनवरी, 2015

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2014

No. 99 (RE-2013)/2009—2014

Sub. : Policy for issue of import licenses of Rough Marble and Travertine Blocks for the Financial year 2014-15.

S.O. 2947(E).—In exercise of powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 as amended, read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009—14, the Central Government hereby makes the following amendments in Schedule-I (Imports) to the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items:

2. Import Licensing Note No. (2) inserted at the end of Chapter 25, will be amended to read as : "Import of rough marble blocks will be subject to conditions laid down in Notification No. 99 dated 20th November 2014."

3. Conditions for import of marble.

(A) The following Policy provisions will be applicable for import of Rough Marble Blocks and Travertine for the financial year 2014-15. This will supersede earlier Policy/Guidelines for issue of import licenses of Rough Marble Blocks.

(B) Attention is invited to ITC HS Codes 25151100 and 25151210 indicated in Schedule-1 (Imports) of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items. As per the provisions contained therein, import of Marble and Travertine– Crude or Roughly trimmed and merely cut, by sawing or otherwise, into blocks of a rectangular (including square) shape is restricted and subject to import licensing procedures.

(C) The applications for import license for import of rough marble blocks and travertine under the above mentioned ITC HS Codes will be considered in the following manner: -

I. Eligibility of the units will be decided based on the following four criteria:

(a) Units who have installed marble gangsaw machine (except 100% EOUs and units in SEZ) on or prior to 31.3.2014. The marble gangsaw machine shall be in the name of the applicant only. No gangsaw on "Lease Basis" shall be considered for the purpose of allocation of import entitlement.

(b) The Units should have been in operation for 5 years on or prior to 31.3.2014.

(c) All eligible units as per (a) above should have cumulative turnover of at least Rs. 5 Crores (Rupees Five crores) during the 3 years period i.e. financial years 2011-12 to 2013-14 irrespective of whether it is from domestic or foreign sources in respect of processed marble slabs/tiles only.

(d) The Unit should be registered with Central Excise Authorities on the date of filing application.

II. Floor Price:

Licenses for import of crude or roughly trimmed marble and travertine blocks or merely cut, by sawing or otherwise into blocks of a rectangular (including square) shape shall be subject to a floor price of US$ 325 per Metric Ton (MT), which shall be endorsed on all licenses.

III. Entitlement:

The total import of Rough Marble and Travertine blocks under ITC HS Codes 25151100 and 25151210 will be subject to a ceiling of 8 lakh MT for the whole of the licensing year, 2014-15. Eligible units will be entitled for an import license on the basis of cumulative turnover (indigenous or foreign) of at least Rupees 5 crores of processed marble slabs/tiles only, over the previous three financial years 2011-12 to 2013-14. The quantity so calculated will however be subject to a ceiling of 3500 MT per gangsaw, subject to overall availability.

IV. Actual User Condition:

All licenses shall be subject to actual user condition. Modalities for submitting hard copies of the applications is attached as Annexure 1 to this notification.

V. Monthly Return

License holders shall file monthly returns regarding imports made by them, to the concerned Regional Authority of DGFT by the 15th of each succeeding month in which license is obtained (for example if a license is obtained on 13th February, the license holder will file the first monthly return for imports made in February by 15th of March and for each month thereafter by the 15th of subsequent month). This is a mandatory requirement.

VI. Validity of Import licences

Licenses for Import of Marble and Travertine will have a validity upto 31st December 2015.

4. Effect of this notification:

Import policy of Rough Marble and Travertine blocks for the year 2014-15 has been notified with a quota of 8 lakh MT and an MIP of US$ 325 per MT .

[F. No. 01/53/162/MISC/AM15/Marble-01/IC]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

ANNEXURE-1

Modalities for submitting applications for grant of quota for import of rough marble blocks

1. Eligible applicants will submit hard copies of their application, in the relevant Aayat Niryat Form, along with the documents prescribed therein, to concerned RA for import of rough marble blocks for the financial year 2014-15. RA will then forward the applications to DGFT HQ for scrutiny and allocation of quota. Calendar of events is attached as Annexure 2 to this Notification.

2. The following conditions would need to be followed and documentary proof submitted to concerned RA alongwith the application for grant of quota :-

(a) The Marble gangsaw in the Unit should be in the name of the Unit and established on or prior to 31.3.2014. The gang saw should not be 'on Lease' from any other party. The marble gangsaw machine should have linear movement and should have minimum 60 steel blades impregnated with diamond segments and be used only for cutting marble blocks into slabs;
(b) The certificate of registration with Central Excise Authorities.
(c) The applicant should furnish a certificate from Central Excise Authority indicating the number of Gangsaw(s) installed and functional/operational in the Unit.
(d) SSI/SIA Registration Certificate/Memorandum of MSME should show the Unit being in operation on or prior to 31.03.2009. State Industry Department (District Industry Centre) should certify the number of gangsaw(s) established on or prior to 31.3.2014 and this certificate need to be submitted to RA.
(e) The list of equipments/capital goods (other than Marble gangsaw) set up by the applicant in the Unit for processing marble slabs/tiles should be prior to 31.3.2009, as per Balance Sheet as on 31.3.2009, duly certified by a Chartered Accountant;
(f) Income Tax Return for the financial year 2008-09 indicating processing of marble by the Unit duly certified by a Chartered Accountant;
(g) CA Certificate indicating domestic/foreign sales turnover of marble slabs/tiles of years 2011-12, 2012-13 and 2013-14.
(h) A copy of Chartered Accountant certified statement of accounts, filed along with Balance Sheet to Income Tax authorities for each of the years i.e. 2011-12, 2012-13 and 2013-14 (in order to prove cumulative turnover from domestic or foreign sources) of marble slabs / tiles of atleast Rs. 5 crore in the last 3 years).
(i) The sale against Form H and other relevant Forms, job work income earned by any unit sawing marble blocks of third parties into slabs/tiles and the amount of excise duty, service tax and sales tax/VAT paid on such indigenous sales turnover of marble slabs/tiles may also be included for calculating indigenous sales turnover of the applicant. An applicant would need to submit certified copies of VAT/Sales Tax returns filed by the applicant for each of the 3 financial years indicating the indigenous sales turnover of marble slabs/tiles alongwith the income tax returns for the same period. No trading turnover shall be considered.
(j) With regard to calculation of indigenous sales turnover, it is clarified that the turnover will include the net sales after deducting the sales returns from the gross sales. It is also clarified that the turnover of the applicant only shall be taken into consideration and the turnover of group concerns/sister concerns/subsidiaries etc. shall not be counted for calculating the turnover.

(k) The applicant must not be on DEL (Denied Entities List) of DGFT.

(l) In case any applicant/firm is found to have furnished wrong/false information or made any misrepresentation, then it shall be debarred from the allocation for import of marble and also liable for penal action under the provisions of FT (D&R) Act 1992, as amended.

3. The last date for receipt of hard copy of application with complete documents with RA shall be 24th December, 2014.

Annexure-2 to Notification No: 99 (RE-2013)/2009—14 Dated : 20th November, 2014

CALENDAR OF EVENTS

1.	Notification to be issued on	20th November, 2014
2	Receipt of Application in RA	Upto 24th December, 2014
3	Forwarding of Applications to DGFT HQ by RA's	Upto 31st December, 2014
4	Declaration of Allocation	8th January, 2015
5	Issuance of Licences	9th to 15th January, 2015

****

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.